

29.5.18

पत्रावली खात कॅम्प कोर्ट गाडीवाड में पत्रावली खात  
समस्तवलय स्वयं उपस्थित। पत्रावली का आवगोचन किमागम  
राजस्व रिपोर्ट (पत्रावली) के अनुसार ग्राम वास गावा के  
श्रुति नं० 83, 84, 355/83 का पत्रावली समस्तवलय  
रिपोर्ट 29.5.18 को रिपोर्ट है। उक्त वर्तित श्रुति  
का फर्मा का सीमाज्ञान दिनांक 8.7.17 के अनुसार  
सीमाज्ञान हो चुका है। पत्रावली उक्त सीमाज्ञान के  
अनुसार अपनी स्वतः दारी श्रुति की सीमाओं पर पत्थरगड़ी  
करवाया जा रहा है।

पत्रावली में उक्त पत्रावली पत्र के अनुसार उक्त वर्तित  
श्रुति का पुरानी नक्शा सीट के अनुसार दुकंदरी का  
अनुसंधान वर्तमान नक्शा सीट में जा रहा है। शत नक्शा  
दूसरे स्वयं वर्तमान नक्शा दूसरे का आवगोचन करने  
पर पत्रावली में कि उक्त दोनों नक्शा सीटें समान हैं  
तथा नक्शा सीट में दुकंदरी किसे पागे का कोई  
अधिकार नहीं है।

उक्त विवेचन के पत्रावली पत्र नं० 136, 110  
व 128 LR Act आंशिक स्वीकार किमा जा रहा है  
तथा ग्राम वास गावा की सरहद में स्थित श्रुति नं०  
83, 84, 355/83 का सीमाज्ञान दिनांक 8.7.17  
के अनुसार उक्त वर्तित श्रुति की सीमाओं पर सीमापिष्ट  
शान्त पत्थरगड़ी किसे पागे का आदेश दिया जा रहा  
है। उक्त अनुसार तहसीलदार उक्त पत्रावली पत्थरगड़ी  
श्रुति का काम करवाकर किमा अनुसार पत्थरगड़ी का  
कार्यवाही उभयपक्षों की उपस्थिति में करें।

पत्रावली किमा अनुसार होकर उक्त के काम होकर  
जा रहा है।

उक्त खात दिनांक 29.5.18 को कॅम्प कोर्ट  
गाडीवाड में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी  
उदयपुरवाडी (उदयपुर)